

प्रश्न सं. [ क. 1977 ]

पश्चिमी-एड (215)



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)  
ब्लाक-1 पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, मोपाल  
(मुख्य कार्यालय-59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, मोपाल)

क्रमांक/1376/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012  
प्रति,

दिनांक 08/07/2012

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला - समस्त जिले (म.प्र.)

विषय: मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनाओं का लाभ अन्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि पर दिये जाने बाबत दिशा निर्देश।  
संदर्भ: परिषद का पत्र क्र. 2506/एमजीएनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/एसई-1/2011 दि. 04.03.2011।

मनरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक उपयोजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग के ऐसे हितग्राही, जो नवीन जिलों के गठन उपरांत जिनका निवास एक जिले के ग्राम में एवं भूमि दूसरे जिले के ग्राम में हो जाने से लाभ नहीं ले पा रहे थे, को किसी एक जगह का जाबकार्डधारी होने के विकल्प के साथ लाभ लेने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के संदर्भित पत्र से किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों में जाबकार्डधारक परिवार एवं उसकी भूमि समान ग्राम पंचायत में होने पर हितग्राहीमूलक उपयोजना का लाभ दिये जाने का लेख किया गया है। अतएव विभाग द्वारा दिनांक 04.03.2011 को जारी निर्देशों के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राही की निजी स्वामित्व की भूमि अन्य ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिले के ग्रामीण क्षेत्र में होने पर या एक से अधिक स्थलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व निवास होने पर उसे किसी एक जगह हितग्राहीमूलक उपयोजना का लाभ इस शर्त के साथ प्राप्त होगा कि "हितग्राही को MGNREGA का जाबकार्ड वापस कर जिस क्षेत्र में जमीन है उसी ब्लाक/जिले का कार्ड लेना होगा तभी हितग्राही मूलक योजना का लाभ मिल सकेगा।" संबंधित हितग्राही को हितग्राही मूलक कार्य का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ उसका द्वारा या जाबकार्ड में अंकित उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दोहरा लाभ नहीं लिया जा रहा है, इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न कर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्तानुसार लाभ प्राप्त किये जाने हेतु विभाग के संदर्भित पत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्यवाही की जा सकेगी।

(नीरज मंडलोई)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद